राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ1(23–33)RPSC/Appt/HRD/2022/909   दिनॉकः 14 मार्च 2024

अनन्तिम नियुक्ति आदेश
(Provisional Appointment Order)

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिशंषा पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य **व्यावसायिक प्रशासन** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनन्तिम (Provisional) नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	सहायक आचार्य का नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री) पिता/पति का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्मतिथि	श्रेणी	अभ्यर्थी की फोटो	पदस्थापन स्थान (राजकीय महाविद्यालय)
1	सुनीता थालौर, पत्नी श्री संजय थालौर, प्लॉट नम्बर सी–21, सैक्टर–1, सैनिक बस्ती, चुरू– 331001	M-60	07–07–1986	OBC, WE		झुंझुनू कन्या
2	उमेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, ग्राम डेरा, पोस्ट डेरा बामनवास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर– 301022	M-79	20–12–1994	GE, EWS, RG		भरतपुर एम.एस.जे.
3	मुकेश कुमार मीना, पुत्र श्री डुंगरसी राम मीना, ग्राम सरजोली पोस्ट बूज तहसील जमवारामगढ, जयपुर 303109	M-83	01–06–1993	ST		भरतपुर एम.एस.जे.

1. उपुर्यक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए कार्यग्रहण तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार मासिक स्थिर परिलाभ रूपयें 40000/– प्रतिमाह देय होगा। यह परिलाभ माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई SLP 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात परिवीक्षा काल को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जावेगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
3. परिवीक्षा काल में स्थिर परिलाभों में से जी.पी.एफ. की कटौती सम्बन्धित सेवा नियमों ओर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अनुसार रहेगी।
4. **उक्त अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।**

Signature valid

Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.14 1[illegible]:15:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
6109189

5 दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के नियम 13 अनुसूची-II के अनुसार सहायक आचार्य पद हेतु देय वेतनमान (15600-39100) ग्रेड पे 6000 (AL-10) देय होगा तथा सफलता पूर्वक परिवीक्षा की समाप्ति पर इनका उक्त वेतन लेवल में न्यूनतम मूल वेतन रूपये 57700/- प्रतिमाह निर्धारित किया जायेगा।

6 राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा निर्देश लागू होगें।

7 उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संतान सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

8. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

9. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(1)डीओपी/ए-II/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

11. उपर्युक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन नहीं किया गया है। यह अनन्तिम (Provisional) नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(5)DOP/A-2/17 दिनांक 15.05.2018 की पालना में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत Attestation Form के आधार पर जारी की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा Attestation Form में अंकित कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन उचित नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अनन्तिम नियुक्ति निरस्त की जायेगी तथा अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/दीवानी/विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा वह अभ्यर्थी अन्य किसी राजकीय नियुक्ति हेतु भी पात्र नहीं माना जायेगा।

12 जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13 उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजो की जांच के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

14 उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

15 चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

16. उक्त अभ्यर्थी को पूर्व की किसी भी प्रकार की सेवा के आधार पर अनुभव तथा योग्यताओं का लाभ देय नहीं होगा जिसमें सी.ए.एस. भी सम्मिलित है।

Signature valid

Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.14 15:15:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
[illegible]

17. उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्त्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आदेश "डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 1098/2023 तब्बसुम परवीन व अन्य बनाम राज्य व अन्य, डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 1033/2023 प्रशांत मील बनाम राज्य व अन्य, डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 1121/2023 नम्रता पब्बुन बनाम राज्य व अन्य, डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 1122/2023 नवीन गढवाल बनाम राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3632/2024 दीपक कुमार बनाम राज्य व अन्य, एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3631/2024 सुरभि शर्मा बनाम राज्य व अन्य." में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

18. उपर्युक्त अभ्यर्थी को **दिनांक 03.04.2024** तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, उक्त तिथि के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जावेगा और उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ1(23–33)RPSC/Appt/HRD/2022/ 909

दिनॉकः 14 मार्च 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(7)(23) भर्ती–ख/A.P./2018–19/583 दिनांक 02.02.2024 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्राचार्य– कृपया उपर्युक्त अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजो की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करें। अभ्यर्थी से दस्तावेजो की स्व प्रमाणित प्रति तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात कार्यभार ग्रहण करावें ।
6. सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – कृपया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ15 (1) डी.ओ.पी./ए–II/1974 दिनांक 01.01.1975 के अनुसार अभ्यर्थी से जॉच हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त कर इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, को प्रेषित कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का श्रम करें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी–कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने गृह जिला अथवा जिस जिले में पदस्थापन किया गया है उस सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करें।
8. स्थापना शाखा – सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र, एवं मूल शपथ पत्र सहित।
9. कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।
10. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.14 15:15:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6109189